

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
दीवा व/र दीवा वर्ग

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तारीख
में जारी हुए

दिनांक 18/10/24

पत्रावली पेश हुई। वादी - जारिवादी आदि।
उप। पत्रावली साप्ताहिक आदेशानुसार दिनांक
11/11/24 को पेश हो।

OR

दिनांक 1/11/24

पत्रावली पेश हुई। वादी - जारिवादी आदि। उप।
वादी को आरूप वादी हेतु न्यायाधीश में मॉर्निंग
अवसर दिया जाता है। पत्रावली वाले आरूपवादी
हेतु दिनांक 26/11/24 को पेश हो।

OR

दिनांक 26/11/24

पत्रावली पेश हुई। उप। 24/11/24 आदि उप।
पत्रावली साप्ताहिक आदेशानुसार दिनांक 11/11/24
को पेश हो।

OR

दिनांक 11/11/24

पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष
पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त
अवकाश में हैं। पत्रावली साप्ताहिक आदेश
दिनांक 13/11/25 को पेश हो।

OR
आदेश से रीट

दिनांक 13/11/25

पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष
पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त
अवकाश में हैं। पत्रावली साप्ताहिक आदेश
दिनांक 27/11/25 को पेश हो।

OR
आदेश से रीट

दिनांक 27/11/25

पत्रावली पेश हुई। आज स्थानीय बार
एसोसियेशन का कार्य स्थगन किया
हुआ है। पीठासीन अधिकारी अन्य राजकीय
कार्य में व्यस्त है। पत्रावली साप्ताहिक आदेश
दिनांक 29/11/25 को पेश हो।

OR
आदेश से रीट

दिनांक 29/11/25

पत्रावली पेश हुई। वादी - प्रतिवादीगण अनुपस्थित।
उभयपक्षकारान् आदिव्यवहार अनुपस्थित। वादी -
वादी आदिव्यवहार, प्रतिवादीगण एवं जारिवादी आदि।
को निष्प्रानुसार तीन बार आवाजे लगावाई गई,
परन्तु कोई उपस्थित नहीं आया। उभयपक्षकारान् एवं
वादी - जारिवादी आदिव्यवहार के उपस्थित नहीं आने से

आवाज - OR
29/11/25

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

हीरा व/५ हीरा वर्ग ३५८/२०११

२०११/२५

बाकी द्वारा जलुत वाद अन्तर्गत धारा ८८, ८९,
५३ एवं १८८ शब्दात्मक काश्तकारी आधिनियम
द्वारा १३६ शब्दात्मक न्यु-शब्दात्मक आधिनियम को
अदम टाउरी) अदम पौबी में प्रारिप्त किया
जाता है। साल ही जलुतवादीगण द्वारा जवाबदावे
में जलुत काउण्टर प्रलेम को भी जलुतवादीगण
एवं जलुतवादी आधिनियम के उपस्थित नहीं
आने के कारण अदम टाउरी) अदम पौबी
में प्रारिप्त किया जाता है। नि:प्रिये स्वलास
मुतासा जलुत डिडी पर्यी जारी हो।

जवाबली फौजल शुमए होकर
वाकिल नम्बर ही तथा नम्बर से कम ली।

2011/25

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी—अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. हीरा लाल पुत्र भागू जी जाति खारोल उम्र वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. हीरा पुत्र मोती जाति खारोल निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. गिरधारी पुत्र मोती जाति खारोल निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. जीवण पुत्र मोती जाति खारोल निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. नन्दु बेवा सोहन जाति खारोल निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
5. रतन पुत्र बालु जाति खारोल उम्र बागि निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
6. गीता पुत्री बालु पत्नी देबी लाल जी जाति खारोल निवासी पुर हाल माण्डल तह0 माण्डल जिला भीलवाड़ा
7. लादी पुत्री बालु पत्नी राजू जी जाति खारोल निवासी पुर हाल निवासी कोडलाई तह0 बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
8. काली पुत्री बालु पत्नी नारायण जी जाति खारोल निवासी पुर, हाल निवासी धोड़ास तह0 माण्डल जिला भीलवाड़ा
9. मांगी पत्नी बालु जी जाति खारोल निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
11. उपपंजीयक, पंजीयन कार्यालय भीलवाड़ा


प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 53 व 188 आर0टी0एक्ट एवं 136 एल0आर0 एक्ट

प्रकरण संख्या 358/2011 राजस्व वाद

वादी एवं वादी अधिवक्ता श्री मांगीलाल सेन अनुपस्थित। प्रतिवादीगण एवं प्रतिवादी अधिवक्ता राकेश जैन अनुपस्थित — इस वाद में आज तारीख 29.01.2025 को पीठासीन अधिकारी अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती है—

वादी एवं वादी अधिवक्ता के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने के कारण वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अदम हाजरी / अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। साथ ही प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावे में प्रस्तुत काउण्टर क्लेम को भी प्रतिवादीगण एवं प्रतिवादी अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने के कारण अदम हाजरी / अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।


29/1/25
(अरुण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा